

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

-:आदेश:-

संचिका संख्या-06/अ0-03-14/2006

/पटना, दिनांक-

श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना की प्रथम नियुक्ति दिनांक-28.01.1989 को श्रम निरीक्षक के पद पर हुई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय बिहार वित्त सेवा (सीमित) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-7027 दिनांक 23.12.2003 द्वारा श्री जायसवाल की नियुक्ति बिहार वित्त सेवा के अधीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर की गई।

उक्त अधिसूचना के आलोक में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-96 दिनांक-31.12.2003 सहपठित ज्ञापांक-4101 दिनांक-31.12.2003 द्वारा श्री जायसवाल दिनांक-02.01.2004 के अपराह्न से विरमित हुए तथा दिनांक-03.01.2004 के पूर्वाह्न में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना में वाणिज्य-कर पदाधिकारी के पद पर अपना योगदान किया गया। इस प्रकार श्री जायसवाल की दोनों सेवाओं के बीच कोई टूट नहीं है।

अतः श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर की गयी सेवा अवधि दिनांक-28.01.1989 से 02.01.2004 तक को बिहार वित्त सेवा के साथ परिगणित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश),

सरकार के अवर सचिव,

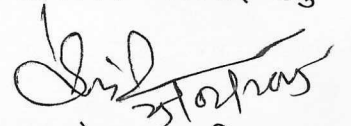
वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-06/अ0-03-14/2006 387

/पटना, दिनांक-27/02/25

प्रतिलिपि:-राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त, -सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार जायसवाल, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।